न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	312/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	337/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010009042026

ज्ञानी उर्फ हरपिन्द्र सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह उम्र 39 साल निवासी वी.पी.ओ. सीड फार्म कच्चा अबोहर तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, पीलीबंगा की प्राथमिकी सं0 5/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 318(3), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री दलीप सारस्वत, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 13.05.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त ज्ञानी उर्फ हरपिन्द्र सिंह की ओर से पुलिस थाना, पीलीबंगा की प्राथमिकी सं0 5/2026 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर अनुसंधान पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि परिवादिया श्रीमती शांति देवी ने विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादिया वार्ड नं. 22 नया 28 पीलीबंगा की निवासी है। परिवादिया की जान–पहचान मनप्रीत कौर उर्फ काली पत्नी श्री अमृतपाल सिंह साकिन वार्ड नं. 22 नया 28 पीलीबंगा के साथ है। मनप्रीत कौर ने आज से करीब 4 माह पूर्व परिवादिया को कहा कि उसके बेटे दलीप का रिश्ता करवा देती है, परन्तु इसके लिए 1,70,000/– रूपये देने पड़ेंगे यदि उसका रिश्ता सिरे नहीं चढ़ेगा, तो उसके रूपये वापिस दे देगी। उसके अलावा अन्य खर्चा जो भी होगा, वह उसका ही लगेगा। परियादिया ने मनप्रीत कौर की बातों पर विश्वास हां भर दी। दिनांक 25.09.2025 को गुरुवार के दिन परिवादिया व परिवादिया का बेटा दलीप, परिवादिया की बेटी मंजू, मनप्रीत कौर, पड़ौसी गुलाब सिंह, बवण सिंह तथा पीलीबंगा गांव का जीप ड्राईवर ख्यालीराम, जिसकी जीप वे किराये पर करके ले गये थे। परिवादिया 2,00,000 /–रूपये पड़ौसी लालचन्द मूंड से ब्याज पर लेकर गई। पीलीबंगा में अबोहर पहुंचकर मीतो रोड़ पर पुली के पास बने होटल पर जीप से उतरे व उतरते ही मनप्रीत कौर ने फोन करके राज व ज्ञानी नाम के दो व्यक्तियों

को बुलाया तथा उक्त होटल पर उन सभी ने चाय नाश्ता किया। लगभग दो घण्टे उनका इंतजार किया हुछ देर बाद एक सफेद रंग की कार आई उसमें से एक लड़की, लड़की की माता, उसकी बुआ, एक अन्य महिला तथा कार का ड्राईवर कार से उतरे। उतरते ही मनप्रीत कौर ने परिवादिया को लड़की से परिचय करवाया कि यह लड़की राजी उर्फ खुशी पुत्री मेजर सिंह गिल निवासी रतिया हरियाणा की है, जिसकी शादी दलीप के साथ करवानी है। मनप्रीत कौर ने उसी समय प्रार्थीया से 1,70,000/– रूपये तथा 3000/– रूपये उनकी कार का किराया मांगा, तो परिवादिया ने अपने दोनों पड़ोसियों गुलाब सिंह व श्रवण सिंह तथा जीप ड्राईवर ख्यालीराम बाजीगर के सामने मनप्रीत कौर को 1,73,000/– रूपये दे दिये। उसके बाद लड़की की माता व उसकी बुआ ने लड़की का पल्ला दलीप के हाथ में दे दिया और कहा कि शादी हो गई, अब तुम राजो उर्फ खुशी को अपने साथ ले जाओ। वे लोग अपनी कार लेकर चले गये तथा वे लोग अपनी जीप में राजो उर्फ खुशी को साथ लेकर पीलीबंगा में मनप्रीत कौर के घर पर आ गये। वहां पर परिवादिया ने अपनी जेब में रूपये देकर लहंगा सेट, मिठाई व दुल्हन के श्रृंगार का अन्य सामान मंगवाया और राजो उर्फ खुशी को दुल्हन बनाकर वरमाला डालने की रस्म पूरी कर मनप्रीत कौर ने दुल्हन को उनके साथ विदा कर दिया। उक्त घटना के सातवें दिन बुधवार को रात के करीब 9 बजे राजो के पीहर पक्ष वाले उनके पिता–माता व दो–तीन रिश्तेदार आये और राजो को अपने साथ यह कहकर ले गये कि दो–तीन दिन बाद वे इसे वापिस छोड़ आयेंगे, परन्तु आज तक वे राजो को यहां पहुंचाकर नहीं गये। उन्हें पता चला है कि राजो को उसके माता–पिता ने 2,00,000/– रूपये लेकर अराईयांवाली तहसील में जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में नायकों के लड़के के साथ शादी कर दी। उक्त सभी मुलजिमान ने धोखाधड़ी करने के आशय से परिवादिया से उसके पुत्र की शादी करवाने के नाम पर 1,73,000/– रूपये हड़प लिये व जब परिवादी ने मनप्रीत कौर से मिलकर उससे रूपये वापिस मांगे, तो मनप्रीत कौर ने कहा उसका काम तो रिश्ता करवाने के नाम पर रूपये हड़पने का है। उसने तो आपके साथ धोखाधड़ी कर ठगी मारनी सौ मार ली, आपसे जो होता है, कर लो। उक्त सभी मुलजिमान ने एक राय होकर जालसाजीपूर्वक धोखाधड़ी करके परिवादिया से 1,73,000/– रूपये हड़प लिये....आदि। उक्त परिवाद आगामी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना पीलीबंगा भिजवाया गया, जहां पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 5/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट इस्तगासा पर दर्ज हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त का हस्तगत प्रकरण में क्या कृत्य रहा, यह कहीं भी नहीं बताया गया है, न तो इस्तगासा में बताया गया है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में। हस्तगत प्रकरण में 1,73,000/– रूपये का लेनदेन कब हुआ, इसके बारे में न तो कोई तारीख बतायी है और न ही समय बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र राजो उर्फ खुशी के पिता के साथ होटल पर आना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त न तो रिश्ता कराने वाला है और न ही रिश्ता दिखाने वाला है। प्रार्थी/अभियुक्त की रिश्ते के संबंध में फोन पर भी कोई बात नहीं हुई है। मात्र फोटोग्राफ्स के आधार पर

पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त को आरोपी माना है। प्रार्थी/अभियुक्त की मात्र लड़की के पिता के साथ जानकारी है। कान्ट्रेक्ट के मुताबिक परिवादिया के लड़के व लड़की की शादी हुई थी। लड़की परिवादिया के घर 10 दिन रही भी थी। प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिस के नोटिस का जवाब भी दिया है। पैसों के लेनदेन की जानकारी भी प्रार्थी/अभियुक्त को नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त शांतिप्रिय एवं प्रतिष्ठित आदमी है। प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करने के लिये तैयार एवं तत्पर है। पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को मामले में गिरफ्तार करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क रहा कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(3), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त फोटोग्राफ्स में साफ दिखाई दे रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त ने सह–अभियुक्तगण के साथ लूटरी दुलहन गैंग बना रखी है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु फिर भी प्रार्थी/अभियुक्त अनुसंधान में सहयोग करने के लिये नहीं आया। हस्तगत प्रकरण की लड़की को उसके माता–पिता सात दिन बाद परिवादिया के घर से लेकर गये और उसकी कहीं और शादी कर दी। प्रकरण में रूपयों की बरामदगी की जानी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
	–	–	–	–	–	–	–

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादिया को बेईमानीपूर्वक आशय से प्रवंचित कर परिवादिया के बेटे की शादी राजो उर्फ खुशी नाम की लड़की से करवाने के नाम पर 1,73,000/– रूपये हड़प करने का धारा 318(3), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। हस्तगत प्रकरण में पुलिस द्वारा परिवादिया से धोखाधड़ी व बेईमानीपूर्वक आशय से प्राप्त की गई 1,73,000/– रूपये की बरामदगी शेष होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान में आवश्यकता है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान में आवश्यकता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त ज्ञानी उर्फ हरपिन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

MANISH KUMAR
STENO GRADE Ist
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.05.14 10:44:49 +0530